NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-11-2025

विषय सूची

» सर्वोच्च न्यायालय: राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा अधिरोपित नहीं कर सकते
» किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामले(JJBs)
» भारत-अमेरिका रक्षा सौदा
» नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए एकजुट प्रतिक्रिया का आह्वान

संक्षिप्त समाचार

» FSSAI द्वारा गुमराह करने वाले ORS-लेबल वाले ड्रिंक्स को तुरंत हटाने का आदेश
» संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM)
» फार्माकोजीनोमिक्स
» डार्क पैटर्न
» CAFE-3 मानदंड
» एकैंथोसिस निग्रिकेंस
» भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

सर्वोच्च न्यायालय: राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा अधिरोपित नहीं कर सकते

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुच्छेद 200/201 के अंतर्गत स्वीकृति देने के निर्णयों के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय की थी।
- **कारण:** राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्य करने के लिए किसी समयसीमा के अंतर्गत बाध्य नहीं हैं।
  - इससे ऐसी स्थिति बनती है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक कार्य न करें। इसे "पॉकेट वीटो" कहा जाता है, हालांकि यह शब्द संविधान में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक विलंब या स्वीकृति रोक नहीं सकते, जब वे विधानसभा द्वारा पारित या पुनः पारित किए जा चुके हों। निर्णय ने राज्यपाल के लिए समयसीमा तय की:
  - पुनः पारित विधेयकों के लिए एक माह।
  - यदि कैबिनेट की परामर्श के विपरीत विधेयक रोका गया है तो तीन माह।
- यह अनुच्छेद 142 के अंतर्गत न्यायिक अधिकार क्षेत्र की सीमा पर प्रश्न उठाता है, और क्या न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों पर जवाबदेही लागू कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्टता

- **समयसीमा का आरोपण:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब संविधान में समयसीमा निर्धारित नहीं है और राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग का तरीका स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय के लिए अनुच्छेद 200 के अंतर्गत समयसीमा तय करना उचित नहीं होगा।
- **विधेयकों पर नहीं, कानूनों पर कार्रवाई:** पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधेयक पर कार्रवाई न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; न्यायिक समीक्षा केवल तब होगी जब विधेयक कानून बन जाए।
- **संवैधानिक सीमाओं का पुनः पुष्टि:** निर्णय ने जोर दिया कि प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में ही कार्य करना चाहिए।
- **लंबे विलंब:** लंबे विलंब के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय राज्यपाल को सीमित निर्देश दे सकती है कि वह विधेयक पर निर्णय लें।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल "लंबे और टालमटोल वाले निष्क्रिय रवैये" का सहारा नहीं ले सकते, और राज्य विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक विलम्ब नहीं कर सकते।
  - यह जनता की इच्छा को विफल करने का जानबूझकर प्रयास होगा, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कल्याणकारी कानूनों में व्यक्त होती है।

अनुच्छेद 142 क्या है?

- अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। यह आदेश या डिक्री पूरे भारत में लागू होता है।
- **महत्व:**
  - यह सर्वोच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में कार्यपालिका और विधायिका के कार्य करने की शक्ति देता है, जैसे सरकार या अन्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश, आदेश या मार्गदर्शन देना।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय को जनहित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने और उन्हें किसी भी उल्लंघन से बचाने की अनुमति देता है।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को संविधान का संरक्षक और कानून का अंतिम निर्णायक के रूप में सुदृढ़ करता है।

- **आलोचना:** यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत एवं कार्यपालिका व विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, और न्यायिक अतिक्रमण या सक्रियता की आलोचना आमंत्रित कर सकता है।

राज्यपाल द्वारा विधेयक पारित करने की प्रक्रिया

- अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित होकर राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:
  - विधेयक को स्वीकृति देना, जिससे वह कानून बन जाए।
  - स्वीकृति रोकना, जिससे विधेयक अस्वीकृत हो जाए।
  - विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाना (धन विधेयक को छोड़कर)।
  - विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, यदि राज्यपाल इसे आवश्यक समझें, जैसे संवैधानिक मामलों या उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित मामलों में।
- यदि विधेयक लौटाया जाता है और विधानसभा उसे पुनः पारित करती है (संशोधन सहित या बिना), तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी और वह स्वीकृति रोक नहीं सकते।
- अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं:
  - विधेयक को स्वीकृति देना, जिससे वह कानून बन जाए।
  - स्वीकृति रोकना, जिससे विधेयक अस्वीकृत हो जाए।
  - विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को पुनर्विचार हेतु विधानसभा को संदेश के साथ लौटाना।

राज्यों की चिंताएँ

- **राज्य स्वायत्तता में हस्तक्षेप:** राज्यों का तर्क है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक सुरक्षित रखने में राज्यपाल की भूमिका राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता को कमजोर करती है, खासकर जब विधेयक राज्य सूची में हों।
- **विवेकाधिकार का दुरुपयोग:** चिंता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की परामर्श के विपरीत विधेयक सुरक्षित रखते हैं, जिससे विवेकाधिकार का दुरुपयोग होता है।
- **निर्णय लेने में विलंब:** कई राज्यों ने राष्ट्रपति के निर्णय में विलंब की शिकायत की है, जिससे कानूनों का समय पर लागू होना प्रभावित होता है।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव:** राज्यों का सुझाव है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए ताकि विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग रोका जा सके।
- **संघवाद पर प्रभाव:** कुछ राज्यों का मानना है कि अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्यपाल को विधेयक सुरक्षित रखने की अनुमति देते हैं, भारत की वास्तविक संघीय संरचना के अनुरूप नहीं हैं।

निष्कर्ष

- मूलतः, यह विकास केवल एक कानूनी प्रश्न नहीं है बल्कि भारत की संघीय संरचना की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसका प्रभाव केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, न्यायिक निगरानी एवं संवैधानिक नैतिकता पर पड़ेगा।

Source: IE

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामले(JJBs)

संदर्भ

- 'जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ: ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइन्स', जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की गई, ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली में चिंताजनक खामियों को उजागर किया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में उच्च लंबित मामले:** देशभर के 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में लगभग 55% मामले लंबित रहे।

- लंबित मामलों की दर में बड़ा अंतर है — ओडिशा में 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक, हालांकि अक्टूबर 2023 तक भारत के 765 जिलों में से 92% ने JJBs का गठन कर लिया है।
- निष्कर्षों ने बच्चों के लिए न्याय वितरण और केस प्रबंधन में गंभीर अक्षमताओं को उजागर किया।

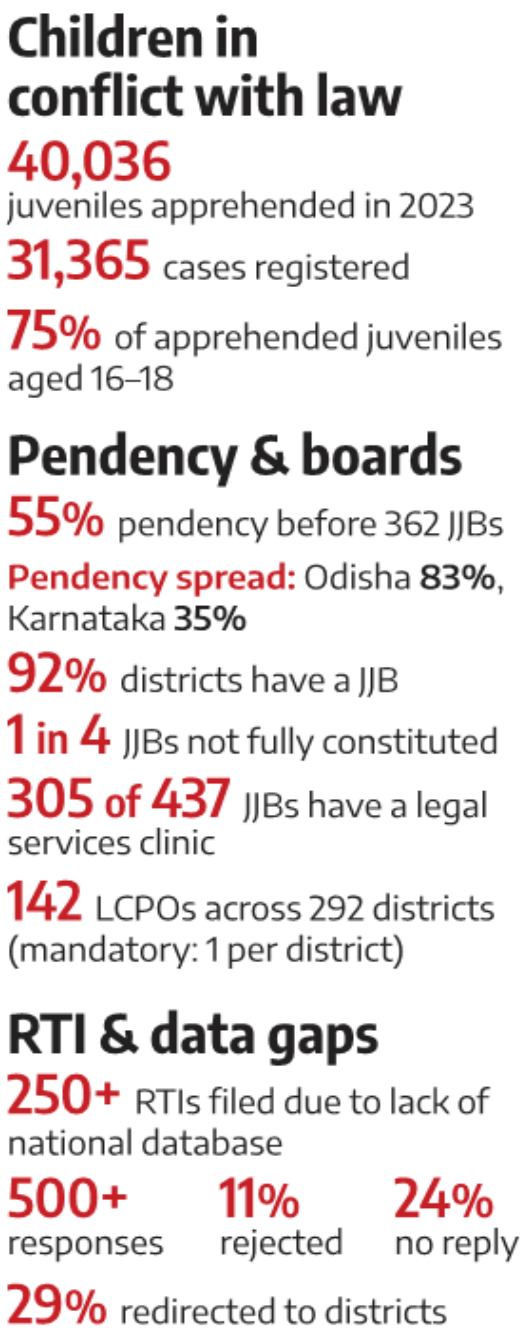

- **केंद्रीकृत डेटा और पारदर्शिता का अभाव:** JJBs के लिए कोई केंद्रीकृत सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है, जबकि नियमित अदालतों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) उपलब्ध है।
  - IJR द्वारा दाखिल 21 राज्यों से प्राप्त RTI जवाबों से पता चला कि JJBs ने देशभर में दर्ज 1,00,904 मामलों में से आधे से भी कम का निपटारा किया।
  - 28 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 500 RTI जवाबों में से 11% अस्वीकार कर दिए गए, 24% का कोई जवाब नहीं मिला, 29% को जिला कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया, और केवल 36% राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए।
  - यह पूरे सिस्टम में डेटा साझा करने और पारदर्शिता की कमजोर संस्कृति को दर्शाता है।
- **रिक्तियां और संसाधन सीमाएँ:** अध्ययन ने नोट किया कि 24% JJBs पूरी तरह गठित नहीं थे, और 30% में कानूनी सेवा क्लिनिक संलग्न नहीं था, जिससे कानूनी सहायता तक पहुंच सीमित हो गई।
  - औसतन, प्रत्येक JJB प्रति वर्ष 154 लंबित मामलों का प्रबंधन कर रहा था, जिससे वर्तमान कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ा।
  - इस बैकलॉग का कारण स्टाफ की कमी, अपर्याप्त फंडिंग और कमजोर डेटा मॉनिटरिंग बताया गया, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन को कमजोर करता है।
- **प्रणालीगत कमजोरियाँ:** IJR अध्ययन ने JJ अधिनियम, 2015 के एक दशक बाद भी बनी हुई संरचनात्मक और प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया, जिनमें शामिल हैं:
  - एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय
  - एकीकृत डेटा प्रणाली का अभाव
  - सीमित निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र
  - कमजोर जवाबदेही संरचनाएँ
  - बाल-केंद्रित सेवाएँ देने के लिए बनाई गई विकेंद्रीकृत रूपरेखा प्रायः खंडित कार्यान्वयन और राज्यों में मानकीकरण की कमी से प्रभावित होती है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें कानून से टकराव में आए बच्चे भी शामिल हैं।
- इसने पहले के 2000 के कानून को बदल दिया ताकि किशोर न्याय में उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

दो श्रेणियाँ:

- **कानून से टकराव में बच्चे (CCL):** वे बच्चे जिन पर अपराध करने का आरोप है या जिन्हें अपराधी पाया गया है और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।
- **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP):** वे बच्चे जो असुरक्षित या जोखिम में हैं, जैसे अनाथ, परित्यक्त बच्चे और शोषण के शिकार।

मुख्य विशेषताएँ:

- JJA 16–18 वर्ष के बच्चों को जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, बशर्ते JJBs द्वारा मूल्यांकन किया जाए।
- यह बाल देखभाल संस्थानों, पालक देखभाल और गोद लेने के माध्यम से सुधार एवं सामाजिक पुनर्वास पर बल देता है।
- 2021 के संशोधन ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिक अधिकार दिए, जिसमें बाल कल्याण समितियों (CWCs) और JJBs की निगरानी शामिल है।

किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) की भूमिका और संरचना

- JJBs अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें प्रत्येक जिले में कानून से टकराव में आए बच्चों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए स्थापित किया जाता है।

संरचना:

- एक महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है);
- दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला शामिल हो।

मुख्य कार्य:

- किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की जांच और सुनवाई करना।
- यह आकलन करना कि 16–18 वर्ष का बच्चा जघन्य अपराधों के लिए वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं।
- कार्यवाही के दौरान कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और बाल-हितैषी प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करना।
- बच्चों को पुनर्वास कार्यक्रमों में भेजना और उनकी प्रगति की निगरानी करना।

बाल-केंद्रित दृष्टिकोण:

- कार्यवाही गैर-प्रतिस्पर्धी, अनौपचारिक वातावरण में की जाती है।
- बच्चे के सर्वोत्तम हित, गोपनीयता और गरिमा पर बल दिया जाता है।
- दंडात्मक उपायों की बजाय पुनर्वास और पुनः एकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।

अध्ययन में दिए गए सुझाव

- **पर्यवेक्षण और पुनर्वास को केंद्र में रखना चाहिए:** IJR ने बल दिया कि किशोर न्याय का आधार पर्यवेक्षण होना चाहिए, जो दंड की बजाय पुनर्वास पर केंद्रित हो।
  - क्राइम इन इंडिया 2023 के डेटा के अनुसार, इंडियन पीनल कोड और स्पेशल कानूनों के अंतर्गत 31,365 मामलों में 40,036 नाबालिगों को पकड़ा गया, जिनमें से चार में से तीन की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी — जो सज़ा देने वाले तरीकों के बजाय सुधार वाले तरीकों की आवश्यकता को दिखाता है।
- **रिक्तियों को शीघ्र भरें:** सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाएँ ताकि सभी JJBs पूर्ण तीन-सदस्यीय पैनल के साथ कार्य कर सकें।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मानकीकृत करें:** JJB सदस्यों, पुलिस और पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिए बाल अधिकारों, आघात-संवेदनशील देखभाल एवं किशोर न्याय अधिनियम पर नियमित, संरचित प्रशिक्षण लागू करें।
- **बुनियादी ढाँचे और सहयोगी सेवाओं में सुधार करें:** सुनिश्चित करें कि JJBs में बाल-हितैषी स्थान, समर्पित न्यायालय कक्ष एवं परामर्शदाता, अनुवादक और कानूनी सहायता प्रदाता उपलब्ध हों।
- **निगरानी और डेटा प्रणाली को मजबूत करें:** केस लंबित मामलों, बोर्ड संरचना और सेवा वितरण मापदंडों को ट्रैक करने के लिए वास्तविक समय डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करें।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाएँ:** पुनर्वास और पुनः एकीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए JJBs, CWCs, DCPUs और पुलिस के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

- IJR अध्ययन ने भारत के किशोर न्याय ढाँचे में क्षमता, समन्वय और पारदर्शिता की गंभीर खामियों को उजागर किया। जब तक एक राष्ट्रीय डेटा ग्रिड स्थापित नहीं किया जाता और नियमित डेटा प्रकाशन अनिवार्य नहीं होता, तब तक यह प्रणाली बच्चों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने में विफल होती रहेगी तथा किशोर न्याय के मूल सार को कमजोर करती रहेगी।

Source: TH

भारत-अमेरिका रक्षा सौदा

संदर्भ

- अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी गोला-बारूद की 93 मिलियन डॉलर मूल्य की बिक्री को स्वीकृति दी है।
  - इसे दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बेहतर करने के लिए 10-वर्षीय ढाँचे पर हस्ताक्षर करने के बाद होने वाले रक्षा समझौतों की श्रृंखला में प्रथम माना जा रहा है।

FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली

- जैवलिन मिसाइल प्रणाली एक आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है जिसका व्यापक रूप से विश्व भर में उपयोग किया जाता है।
- यह एकल सैनिक द्वारा ले जाई जा सकने वाली "फायर-एंड-फॉरगेट" मध्यम दूरी की एंटी-टैंक हथियार प्रणाली है, जिसे सभी ज्ञात और संभावित खतरे वाले कवच को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- जैवलिन प्रारंभिक प्रक्षेपण के बाद स्वतः लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है, जिससे ऑपरेटर को छिपने, स्थान बदलने या किसी अन्य खतरे से निपटने की तैयारी करने का अवसर मिलता है।
- भारत ने खरीद के लिए M982A1 एक्सकैलिबर सामरिक प्रक्षेपास्त्रों में से 216 तक का अनुरोध किया है।
  - भारतीय सेना के लिए, एक्सकैलिबर बिना नई आर्टिलरी प्लेटफॉर्म जोड़े प्रिसिजन-स्ट्राइक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

- प्रिसिजन-गाइडेड गोला-बारूद उच्च ऊँचाई वाले संघर्ष क्षेत्रों में गोला-बारूद की बचत में भी मदद करता है, जहाँ लॉजिस्टिक श्रृंखलाएँ प्रायः तनावग्रस्त रहती हैं।

- **महत्व:** लगभग 92.8 मिलियन डॉलर मूल्य के संयुक्त पैकेज भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्राथमिकताओं के अभिसरण को दर्शाते हैं, साथ ही भारत की उन्नत गोला-बारूद में आत्मनिर्भरता की दीर्घकालिक योजनाओं का समर्थन भी करते हैं।

भारत - अमेरिका रक्षा संबंध

- रक्षा संबंध लेन-देन आधारित से बदलकर 2016 में "मेजर डिफेंस पार्टनरशिप" में परिवर्तित हुए।
- निम्नलिखित तंत्रों द्वारा निर्देशित:
  - 2+2 मंत्रीस्तरीय वार्ता
  - रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) (2012)
  - सैन्य सहयोग समूह (MCG)
- भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" नामित किया गया और 2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन-1 (STA-1) का दर्जा दिया गया, जिससे उच्च-तकनीकी निर्यात आसान हुआ।
- भारत ने अमेरिका के साथ सभी चार प्रमुख आधारभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:
  - सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA) 2002 में और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) 2016 में।
  - COMCASA (2018) – सुरक्षित संचार और इंटरऑपरेबिलिटी।
  - बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो-स्पैशियल कोऑपरेशन (BECA 2020) – जियो-स्पैशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा के लिए, प्रिसिजन टार्गेटिंग हेतु।
- **सैन्य अभ्यास:** भारत के किसी भी देश के साथ सबसे व्यापक अभ्यासों में से।
  - युद्ध अभ्यास: थल सेना।
  - मालाबार: अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसैनिक चतुर्भुज।
  - कोप इंडिया: वायु अभ्यास।
  - टाइगर ट्रायम्फ: त्रि-सेवा HADR अभ्यास।
  - वज्र प्रहार: विशेष बल।
- ये सौदे आपातकालीन खरीद शक्तियों के अंतर्गत किए गए हैं, जो सशस्त्र बलों को अनुबंधों के लिए लंबी खरीद प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं, विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) मार्ग के अंतर्गत अधिकतम सीमा 300 करोड़ रुपये तक।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों का महत्व

- **भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है:** उन्नत अमेरिकी तकनीकों तक पहुँच भारत की निगरानी, लिफ्ट और युद्ध तत्परता में सुधार करती है।
- **आधारभूत समझौते (LEMOA, COMCASA, BECA):** इंटरऑपरेबिलिटी, सुरक्षित संचार, वास्तविक समय खुफिया और प्रिसिजन टार्गेटिंग को बढ़ावा देते हैं।
- **रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण का समर्थन:** DTTI, जेट इंजन सहयोग और रक्षा नवाचार साझेदारी (DIU–iDEX) के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहयोग सह-उत्पादन और सह-विकास को बढ़ावा देता है।
- **समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक रणनीति को मजबूत करता है:** नौसैनिक सहयोग और अभ्यास भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को सुरक्षित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
- **आतंकवाद-रोधी और खुफिया सहयोग को बढ़ावा देता है:** सूचना-साझाकरण तंत्र, आतंकवादी समूहों की नामांकन और UN व FATF में सहयोग भारत के वैश्विक आतंकवाद-रोधी प्रयासों को मजबूत करते हैं।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान:** अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक में भारत–अमेरिका का अभिसरण व्यापक रणनीतिक स्थिरता में योगदान देता है।

- एशिया में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

Source: LM

नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए एकजुट प्रतिक्रिया का आह्वान

समाचारों में

- नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 ने "वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर" विषय के अंतर्गत भारत के एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

नेशनल वन हेल्थ असेंबली 2025

- इसका आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) द्वारा नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में किया जा रहा है।
- यह मंत्रालयों, विभागों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि वन हेल्थ दृष्टिकोण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को उजागर किया जा सके।

वन हेल्थ

- 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण लोगों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत करता है।
- यह जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे ज़ूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा का समाधान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आवश्यकता और उद्देश्य

- भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी पशुधन जनसंख्या में से एक, विविध वन्यजीव और सघन मानव जनसंख्या है, जिससे यह क्रॉस-सेक्टोरल रोग संचरण के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनता है।
- कोविड-19, एवियन इन्फ्लुएंजा और मवेशियों में लंपी स्किन डिज़ीज़ जैसे प्रकोप स्वास्थ्य क्षेत्रों की परस्पर जुड़ाव को उजागर करते हैं।
- वन हेल्थ समग्र शासन, सहयोग और संचार सुनिश्चित करता है, जिससे महामारी के विरुद्ध बेहतर तैयारी होती है तथा खाद्य सुरक्षा, आजीविका एवं जैव विविधता की रक्षा होती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और वन्यजीव क्षेत्र प्रायः अलग-अलग कार्य करते हैं।
- ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए सीमित निगरानी प्रणाली।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संसाधन सीमाएँ, जहाँ मानव-पशु संपर्क तीव्र होता है।
- एकतरफा व्यापार उपाय (जैसे कार्बन बॉर्डर मैकेनिज़्म) और वैश्विक असमानताएँ वन हेल्थ रणनीतियों को लागू करने में निष्पक्षता को कमजोर कर सकती हैं।

भारत में उठाए गए कदम

- नेशनल वन हेल्थ मिशन (2021) ने ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए क्रॉस-सेक्टोरल समन्वय को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव रखा।
- आयुष्मान भारत और ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म स्वास्थ्य सेवाओं, जिसमें निवारक सेवाएँ भी शामिल हैं, तक पहुँच का विस्तार कर रहे हैं।
- मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियानों को बेहतर कर रोग भार को कम कर रहा है।
- सरकार ने उच्च-संयम प्रयोगशालाओं की प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए BSL-3 प्रयोगशाला नेटवर्क SOP संकलन जारी किया।

आगे की राह

- वन हेल्थ भारत की लचीलापन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा, मजबूत निगरानी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- यह सामुदायिक जागरूकता, प्रकोप की भविष्यवाणी के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग और विकासशील देशों के लिए वित्त, तकनीक एवं संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक सहयोग का आह्वान करता है।

Source :DD

संक्षिप्त समाचार

FSSAI द्वारा गुमराह करने वाले ORS-लेबल वाले ड्रिंक्स को तुरंत हटाने का आदेश

समाचारों में

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत बिक्री से सभी फलों पर आधारित पेय पदार्थ, रेडी-टू-सर्व ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट पेय और इसी तरह के उत्पादों को हटा दें, जिन्हें ORS शब्द का उपयोग करके विपणन किया जा रहा है।

ORS के बारे में

- ORS (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स) मानकीकृत, WHO–UNICEF द्वारा अनुशंसित सैशे होते हैं जिन्हें स्वच्छ जल में घोलकर मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा (Oral Rehydration Therapy) के लिए घोल तैयार किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त (जिसमें हैजा भी शामिल है) से होने वाले निर्जलीकरण को रोकना और उसका उपचार करना है, विशेषकर बच्चों में, जो निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है।
- वर्तमान WHO लो-ऑस्मोलैरिटी ORS संरचना में सोडियम क्लोराइड, निर्जल ग्लूकोज़, पोटैशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट सटीक मात्रा में शामिल होते हैं।
- ग्लूकोज़ को नियंत्रित सांद्रता में शामिल किया जाता है ताकि छोटी आंत में सोडियम–ग्लूकोज़ सह-परिवहन तंत्र का उपयोग किया जा सके, जिससे सोडियम और परिणामस्वरूप जल का आंतरिक अवशोषण बढ़ाया जा सके।

Source: TH

संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM)

समाचारों में

- भारत ने बेलें, ब्राज़ील में आयोजित COP30 में संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JCM) को न्यायसंगत और प्रौद्योगिकी-आधारित जलवायु कार्रवाई का विस्तार करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में वर्णित किया।

परिचय

- JCM एक द्विपक्षीय पहल है जो भारत जैसे साझेदार देश को जापान के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है ताकि कम-कार्बन परियोजनाओं को लागू किया जा सके और कार्बन क्रेडिट प्राप्त किए जा सकें।
- ये क्रेडिट उन परियोजनाओं से उत्पन्न होते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं, और इन्हें दोनों देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में उपयोग कर सकते हैं।
- JCM प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाता है, हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करता है और साझेदार देश में सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- यह ढाँचा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्य करता है, जो पारदर्शी क्रेडिट साझा करने, पर्यावरणीय अखंडता और वित्तीय जुटाव को सुनिश्चित करता है।

Source: AIR

फार्माकोजीनोमिक्स

समाचारों में

- फार्माकोजीनोमिक्स दवा के नुस्खों को रोगी की आनुवंशिक संरचना के अनुसार ढालकर चिकित्सा को बदल रहा है।

फार्माकोजीनोमिक्स

- **अवलोकन:** फार्माकोजीनोमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो फार्माकोलॉजी और जीनोमिक्स को जोड़ता है ताकि यह समझा जा सके कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना उसकी दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करती है।

- इसका उद्देश्य आनुवंशिक प्रोफ़ाइल के आधार पर दवा के नुस्खे तैयार करना है ताकि उपचार में अधिकतम सुरक्षा और प्रभावकारिता प्राप्त की जा सके।

- **उद्देश्य:** फार्माकोजीनोमिक्स यह अनुमान लगाने में सहायता करता है कि कौन सी दवाएँ किसी व्यक्ति के लिए प्रभावी होंगी, कौन सी कार्य नहीं करेंगी और कौन सी प्रतिकूल दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इससे व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ बनाने में सुविधा होती है।
- **चुनौतियाँ:** व्यापक अपनाने में कई बाधाएँ हैं, जैसे आनुवंशिक परीक्षण तक सीमित पहुँच, विविध जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापक डेटा का अभाव, और नियमित नैदानिक अभ्यास में फार्माकोजीनोमिक जानकारी को एकीकृत करने की जटिलता।

Source: TH

डार्क पैटर्न

समाचारों में

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने घोषणा की कि 26 डिजिटल स्टोरफ्रंट्स, जिनमें फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकइट, ज़ोमैटो, बिगबास्केट और रिलायंस रिटेल शामिल हैं, ने "डार्क पैटर्न्स" के विरुद्ध 2023 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन घोषित किया है।

"डार्क पैटर्न्स"

- डार्क पैटर्न्स भ्रामक UI/UX (यूज़र इंटरफ़ेस/यूज़र अनुभव) डिज़ाइन प्रथाएँ हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिए गुमराह करती हैं जिन्हें वे करना नहीं चाहते थे, और इससे उपभोक्ता की स्वायत्तता, विकल्प और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है।
- इन्हें भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाएँ या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना जाता है।

प्रभाव

- डार्क पैटर्न्स उपयोगकर्ता की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जिससे अनचाही खरीदारी, अत्यधिक उपयोग, गोपनीयता जोखिम और भ्रामक विज्ञापन होते हैं जो विश्वास को कमज़ोर करते हैं।

उपाय

- डार्क पैटर्न्स "अनुचित व्यापार प्रथाओं" की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 के उपखंड 47 में परिभाषित किया गया है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए "डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा-निर्देश, 2023" जारी किए, जिनमें ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न्स को सूचीबद्ध किया गया है।

Source: TH

CAFE-3 मानदंड

संदर्भ

- भारत की योजना, वित्त वर्ष 2028 (FY28) से प्रस्तावित कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) नियमों के तीसरे चरण के अंतर्गत ईंधन दक्षता नियमों को सख्त करने की है, जिससे ऑटो उद्योग के अंदर गहरा विभाजन उत्पन्न हो गया है।

परिचय

- वाहन निर्माता इस बात पर बंटे हुए हैं कि आगामी चरण के मानकों में छोटे और बड़े वाहनों को कैसे शामिल किया जाए।
- यह ढाँचा वजन-आधारित सूत्र पर आधारित है, जो FY32 तक लगातार सख्त होता जाएगा, लेकिन इसकी संरचना का तात्पर्य है कि हल्की कारों को भारी SUV की तुलना में कहीं अधिक सुधार करना होगा।
- उत्सर्जन कम करने का भार छोटे वाहनों पर बड़े और भारी SUV की तुलना में कहीं अधिक है।
- उनका मानना है कि बड़े वाहनों में उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों जैसे हाइब्रिड या पूर्ण इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लागू करने की अधिक संभावना है।
- लेकिन छोटे वाहनों में यह संभावना बहुत कम है क्योंकि इन्हें बजट के अनुसार बनाया जाता है।

भारत के वर्तमान CAFE मानदंड

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2017 में CAFE मानदंड पेश किए थे ताकि यात्री वाहनों से ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।
- ये मानदंड पेट्रोल, डीज़ल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG), हाइब्रिड और 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर लागू होते हैं।
- वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में इन मानदंडों को और सख्त किया गया, साथ ही अनुपालन न करने पर दंड भी बढ़ा दिए गए।
- इन मानदंडों का उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।

Source: IE

एकैंथोसिस निग्रिकेंस

संदर्भ

- एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स त्वचा की सिलवटों और तहों में प्रकट हो सकता है और यह इंसुलिन प्रतिरोध से गहराई से जुड़ा होता है।

परिचय

- **एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स (AN)** एक त्वचा संबंधी स्थिति है, जिसकी विशेषता त्वचा की सिलवटों पर गहरे, मखमली धब्बों से होती है।
  - AN से जुड़ी त्वचा में बदलाव अचानक नहीं दिखाई देते, बल्कि कई महीनों के दौरान धीरे-धीरे विकसित होते हैं।
- यह इंसुलिन प्रतिरोध से गहराई से जुड़ा है, जिससे यह प्रीडायबिटीज और डायबिटीज का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी संकेत बन जाता है।
  - बच्चों और युवाओं में AN की उपस्थिति को प्रायः बढ़ते डायबिटीज जोखिम का नैदानिक संकेतक माना जाता है।
- **कारण:** AN के कारण मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलिटस हो सकते हैं और अत्यंत दुर्लभ मामलों में मेलानोमा, पेट या यकृत की घातक बीमारियों में भी यह देखा जा सकता है।
- **उपचार:** अधिकांश मामलों में, जो मोटापे या इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़े होते हैं, चयापचय स्वास्थ्य में सुधार करने से त्वचा के रंग परिवर्तन को हल्का करने में सहायता मिल सकती है।
  - मोटापे से ग्रस्त लोगों को आहार में बदलाव और जीवनशैली में सुधार करके वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

Source: TH

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

संदर्भ

- भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) भारत के सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदर्शनों में से एक है।

परिचय

- इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) द्वारा किया जाता है।
- यह वार्षिक आयोजन निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
- यह प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होता है।
- इसे दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से एक माना जाता है।
- इसका प्रथम आयोजन 1980 में हुआ था।
- **थीम:** 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'।
- प्रत्येक राज्य का मंडप अपनी विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करता है — झारखंड के हस्तकरघा और जनजातीय कला से लेकर उत्तर प्रदेश की जटिल धातु कला एवं राजस्थान की जीवंत ब्लॉक-प्रिंट्स तक।

महत्व

- बड़े पैमाने पर व्यापारिक आगंतुकों और B2B सौदों का सृजन करता है।

- भारत की छवि को एक प्रमुख व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है।
- राज्य मंडपों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है।
- कारीगरों और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए बाज़ार संबंध प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से भारत की आर्थिक कूटनीति को सुदृढ़ करता है।
- वैश्विक मूल्य-श्रृंखला संबंधों के निर्माण में सहायता करता है।

Source: PIB